भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1951

06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में स्वास्थ्य सेवा और अवसंरचना की कमी

1951. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की भारी कमी के बारे में जानकारी है, जैसा कि हाल के अध्ययनों और मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केंद्र सरकार का स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का विचार है; और
(ग) क्या सरकार के पास पंजाब में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को उन्नत करने के लिए योजनाएं शुरू करने या अतिरिक्त धन आवंटित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारत में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों और अवसंरचना का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एसपीआईपी) के आधार पर राज्यों को निधियां आवंटित की जाती है, जिसका राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा उचित मूल्यांकन किया जाता है। विवरण सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हैं:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=57&lid=70

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा, भारत सरकार ने पंजाब को जन स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों के अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए निम्नलिखित निधियां आवंटित की है:

• **पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना करता है। राज्य के प्रस्ताव के अनुसार, 14 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 17 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए चार वर्षों (अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए 534.81 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है।

• **पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV)** के तहत, पंजाब राज्य के लिए 2129.37 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया है जो राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 1292 भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (1222 एसएचसी, 54 पीएचसी और 16 सीएचसी) और 120 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयों (बीपीएचयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है।

• **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। योजना के तहत बठिंडा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और पंजाब राज्य के लिए अमृतसर और पटियाला में दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन को अनुमोदन दिया गया है।

• केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना', वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देते हुए, पंजाब राज्य में एसएएस नगर, कपूरथला और होशियारपुर जिलों में 03 मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदन दिया गया है।

****